कार्यालय नगर निगम,
(हैरिटेज एवं ग्रेटर) जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ–6( )उपा.राज.(सा.प्र.)/ला.शाखा/जननि/2020/ 369 दिनांकः–4/8/020

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पार्किंग स्थल की खुली नीलामी बोली

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर द्वारा हवामहल जोन पश्चिम कार्यालय में पार्किंग ठेका दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों के लिए खुली नीलामी बोली में आमंत्रित की जाती है। :–

क्र.स.	पार्किंग स्थल	नीलामी की न्यूनतम राशि	अमानता राशि	नीलामी दिनांक
1	हवामहल जोन कार्यालय के बाहर	7,00,000/–	70,000/–	13/8/2020

1. इच्छुक नीलामी दाता नीलामी में भाग लेने हेतु नगद/ड्राफ्ट द्वारा पंजीयन शुल्क 1000/– रुपये (अप्रतिदेय होगा) जमा करा कर पंजीयन दिनांक 11.8.2020 को प्रातः 10 बजे तक करवा सकते हैं।
2. नीलामी भागीदारी शुल्क 5,000/– रूपये अप्रतिदेय होगा (Non Refundable) तथा जमा की रसीद अमानता राशि जमा करवाने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
3. नीलामी की शर्तो का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कमरा नम्बर 121 में किया जा सकता है।
4. हवामहल जोन पश्चिम कार्यालय के बाहर पार्किंग का ठेका एक वर्ष के लिए की जाना है।
5. नीलामी दिवस दिनांक 13/8/2020 को अमानत राशि प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक 70,000/– रुपये जमा की जाएगी जो कि बैंकर चैक/डी.डी. के रूप में स्वीकार होगी तथा नीलामी बोली 2.00 बजे से शुरू होकर शाम 4.00 बजे समाप्त की जाएगी।
6. नीलामी खुली बोली द्वारा की जाएगी।
7. नीलामी की न्यूनतम बोली 7,00,000/–रुपये है।

–Sd–

(नवीन भारद्वाज)
उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम (हैरिटेज एवं ग्रेटर) जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम को भेजकर लेख है कि उपरोक्तापनुसार खुली बोली नीलामी सूचना एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम, हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर को विज्ञप्ति की प्रति बेवसाईट पर अपलोड़ कराने हेतु प्रेषित है।
3. वित्तीय सलाहाकार, नगर निगम, हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर।
4. राजस्व अधिकारी हैडक्वाटर, नगर निगम, हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि कुर्सी, टेबल की व्यवस्था करवाने का श्रम करें।
5. केयर टेकर, नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि पानी व चाय की व्यवस्थ‍ा करवाने का श्रम करें।
6. गार्ड फाईल।

Received 04/08/2020

उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम (हैरिटेज एवं ग्रेटर) जयपुर

कार्यालय नगर निगम,
(हैरिटेज एवं ग्रेटर) जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ–6( )उपा.राज.(सा.प्र.)/ला.शाखा/जननि/2020/372 दिनांकः– 4/8/2020

हवामहल जोन पश्चिम कार्यालय के बाहर पैड पार्किंग स्थलों की नीलामी शर्तें

नगर निगम जयपुर द्वारा एक वर्ष की अवधी के लिये प्रस्तावित पार्किंग स्थल खुली नीलामी बोली द्वारा ठेके पर दिये जावेगे। इस खुली बोली की शर्ते निम्नानुसार हैः –

1. खुली नीलामी बोली में ऐसे इच्छुक व्यक्ति/फर्म ही भाग ले सकेगें जो निर्धारित ठेके की प्रारम्भिक बोली राशि का 10 प्रतिशत अमानता राशि के रूप में बैंकर्स चैक/डी.डी. नगर निगम मुख्यालय के कैश काउण्टर में जमा करवाना सु–निश्चित करेंगें।
2. बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अमानता राशि के साथ साथ बोलीदाता को राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/आयकर का पेनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि ठेका अवधि तक निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 ठेका राशि जमा करा देने पर लौटा दी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद 24 घण्टे में डीडी अथवा ऑन लाईन प्रकिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानता राशि जप्त समझी जावेगी इसके पश्चात उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में 1/4 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
5. .पार्किंग का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष पश्चात संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नगर निगम व संवेदक की आपसी सहमति से इस ठेके को प्रथम वर्ष की बोली राशि पर 15 प्रतिशत बढ़ाकर अन्तिम द्वितीय वर्ष के लिए (अर्थात एक वर्ष अतिरिक्त के लिए) बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु संवेदक को प्रथम वर्ष समाप्ति से 3 माह पूर्व आवेदन करना होगा।
6. ठेकेदार को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी। 1/4 ठेका राशि नीलामी के 24 घण्टे के भीतर तथा शेष 3/4 राशि ठेका स्वीकृत होने की तिथि के अगले माह की प्रथम तारीख से तीन समान त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। 3/4 राशि के बैंक गारण्टी/एफडीआर बोली स्वीकृति होने के 10 दिवस के अन्तर्गत नगर निगम में जमा करानी होगी।

   1/4 राशि जमा होने पर एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् संवेदक को अस्थायी लाईसेंस जारी किया जायेगा तथा शेष 3/4 राशि की तीन समान त्रैमासिक किश्तों की राशि नगर निगम कोष में क्रेडिट होने पर स्थायी लाईसेंस एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। निर्धारित समय पर सम्पूर्ण ठेका राशि निगम कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
7. यदि ठेके को अगले एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है तो उस एक वर्ष की ठेका राशि भी दो समान त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त प्रथम वित्तीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्ति से 30 दिवस पूर्व जमा करानी होगी। इस में भी दोनों किश्तों की राशि नगर निगम ,खाते में क्रेडिट होने के पश्चात स्थायी लाईसेंस इस एक वर्ष के लिए जारी किया जायेगा। निर्धारित समय पर सम्पूर्ण ठेका राशि निगम कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
8. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगा।

सारणी–1 हवामहल पश्चिम कार्यालय के बाहर पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगा।

समय	मोटर साईकिल/ स्कूटर	चौपहिया वाहन
प्रथम एक घण्टा	10/–	20/–
द्वितीय घण्टा	15/–	40/–
तृतीय घण्टा	25/–	50/–
मासिक पास	400/–	1000/–

तीन घण्टे पश्चात् संवेदक स्वयं के व्यय तथा स्वयं के संसाधनों से वाहनों को पार्किंग स्थलों से हटाने हेतु व्यवस्था करेगा तथा इस शर्त का उल्लेख सहज रूप से दृश्य सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड लगाकर करना होगा।

9. समय–समय पर राज्य सरकार/यातायात पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
10. लाईसेन्सधारी ठेकेदार वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही (फुटपाथ का भूमि को छोड़कर) खड़ा कर सकेगा। निर्धारित स्थल के बाहर वाहन खड़ा करने पर प्रति वाहन 300/– रू. की दर से शास्ति ठेकेदार पर लगाई जावेगी।
11. जिस पार्किंग स्थल पर जो वाहन खड़ा करने का ठेका लिया है उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन खड़ा करना पाया गया तो 300/–रू प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ति ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
12. प्रत्येक वाहन के दो टोकन होगे। एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा तथा दूसरा टोकन ठेकेदार/कर्मचारी के पास रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या एवं पार्किग का समय अंकित करना होगा। जिससे वाहन बदलने की संभावना नहीं रहे। पार्किंग स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर रखा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहन धारक को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम जयपुर किसी भी प्रकार की हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
13. ठेकेदार को इलेक्ट्रोनिक मशीन (Hand Terminal) के द्वारा टोकन निकाल कर देना होगा। इस मशीन में दर, वाहन खड़ा करने का समय, वाहन वापस जाने का समय आदि दर्ज करना होगा। मशीन की जांच कभी भी नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा सकेगी।
14. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामी को वाहन की खरीद आदि के सबूत ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगे। ठेकेदार द्वारा पूर्ण जाचं करने के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा। इसमें नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा इसके लिए सम्पर्ण दायित्व संवेदक का होगा।
15. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार को पार्किंग स्थल की सूचना कम से कम 2X2 साईज के चार (विशेषकर प्रवेश एवं निकासी पर) बोर्ड स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा। जिन पर पार्किंग स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम/पता, स्वीकृति संख्या, मोबाइल नं., जोन कार्यालय का नाम एवं पार्किंग की दरे दर्शायी जानी आवश्यक होगी। इस शर्त की पालना नहीं करने पर ठेकेदार पर 100/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूली की सत्य शिकायत पर अर्थदण्ड निम्नानुसार लगाया जावेगा (i) जिस पार्किंग की बोली राशि 10 लाख या इससे अधिक है तो प्रथम सत्य शिकायत पर 10,000/– रूपए तथा द्वितीय सत्य शिकायत पर 20,000 रूपए अर्थदण्ड (ii) जिस पार्किंग की बोली राशि 10 लाख रूपए से कम है तो प्रथम सत्य शिकायत पर 5000 रूपए का अर्थदण्ड तथा द्वितीय सत्य शिकायत पर 10,000/– रूपए अर्थदण्ड तथा दोनों ही स्थिति में तीसरी सत्य शिकायत पर जमा समस्त राशियां जप्त करते हुये ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
17. ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेगे इनकी सूचना ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में ठेकेदार द्वारा जयपुर नगर निगम को उपलब्ध करवाई जावेगी। ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों को ठेका स्थल पर अपने नाम का कार्ड लगाना होगा। ऐसा नही करने पर ठेका शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। कार्ड का खर्चा ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।
18. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा।

19. ठेकेदार पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे ठेकेदार के खर्चे से तुरन्त हटाया जावेगा एवं ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
20. ठेका अवधि में नगर निगम द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में पार्किंग स्थल खाली करवाया जा सकता है। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा ठेकेदार को ठेके की शेष रही अवधि की अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी।
21 ठेका स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प (ठेकेदार के खर्चे पर) पेपर पर ठेके की शर्तो अनुसार नियमानुसार जोन उपायुक्त/उपायुक्त राजस्व को अनुंबध पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होगे।
22 ठेकेदार को पार्किंग की दरें पठनीय रूप से लिखकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर इसे ठेके की शर्तों का उल्लघंन माना जावेगा। वाहन धारक के चाहने पर ठेके की शर्तो की छायाप्रति का अवलोकन किया जा सकेगा।
23 यदि निगम को ठेकेदार के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होता है तो ठेकेदार इसके लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
24 किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
25 ठेका शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
26 राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर नियमानुसार निविदा राशि के अतिरिक्त संबन्धित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगे। यह कर राशि बोली राशि के अतिरिक्त होगी तथा इसे संबन्धित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
27 किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम जयपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
28 न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
29 निविदाकार फुटपाथ की भूमि को छोड़कर वर्णित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। यदि वह फुटपाथ की भूमि पर वाहन पार्क करते हुये पाया जाता है तो निविदाकार की निविदा समाप्त कर निविदा राशि जप्त करने का अधिकार या 50 प्रतिशत निविदा राशि का जुर्माना अध्यारोपित करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
30 संवेदक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने पर ही संविदा में भाग ले सकेगा।
31 जो संवेदक पूर्व से ही नगर निगम में रजिस्टर हैं तथा अब नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक अपेक्षित दस्तावेज जी.एस.टी., (पी.एफ, ई. एस. आई, आदि यदि लागू होता है तो) ऐसे संवेदक ऑफ–लाईन (Ofline), EMD जमा करवाकर अपेक्षित दस्तावेज बोली लगाने से पूर्व या 1/4 राशि जमा कराने से पूर्व ऑफलाईन कमरा न. 123 उपायुक्त राजस्व प्रथम के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। पी.एफ. एवं ई.एस.आई. यदि संवेदक पर लागू नहीं होता है। तो इस बाबत शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र मे जमा करायेगें। उक्त दस्तावेजों के अभाव में संवदेक द्वारा लगायी गयी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी, जिसका संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
32 नियमानुसार जीएसटी एवं अन्य राजकीय कर लागू होगे जो कि निविदा राशि/बोली राशि के अलावा लागू होंगें तथा निविदादाता को ही संबन्धित विभाग में जमा करवाकर रसीद निगम को अस्थाई लाइसेंस जारी होने के 30 दिवस में पेश करना होगा। इसके उपरान्त ही स्थायी लाईसेंस की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा। इसके अभाव में ठेका निरस्त समझा जायेगा।
33 पार्किंग ठेकेदार यह सुनिश्चित करे कि निर्धारित समय पश्चात् पार्किंग स्थल पर कोई व्यक्ति वाहन पार्क नही करे।
34 फर्म का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीकरण होना आवश्यक होने पर पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र/दस्तावेज कार्यादेश जारी होने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
35 किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

नवीन भारद्वाज
उपायुक्त राजस्व प्रथम
नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर।